e-mail.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) 4451

संख्या – 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (खगड़िया) संविदा– 36/2022.........**पटना, दिनांकः**–29/05/2023

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 22–। दिनांक 30.01.2023 द्वारा मो0 इरशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00773) के विरूद्ध श्री आशुतोष कुमार अमन, विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा रैयतों से अवैध राशि उगाही संबंधित वायरल विडियो के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं करने, साक्ष्य को छिपाने, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा कार्य में लापरवाही का आरोप प्रतिवेदित करते हुए इनका संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1951 दिनांक 02.03.2023 द्वारा मो0 आलम से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि इन्हें इनके पदनाम से श्री दहिचन सिंह परिवादी से विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसका स्थलीय जाँच इनके द्वारा किया गया है, जाँचोपरान्त परिवाद को इनके द्वारा निराधार बताया गया है। साथ ही वायरल विडियो के संबंध में तर्क दिया गया है कि Unknown Number से विडियो प्राप्त होने के कारण उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। परिवादी के संतुष्टि को देखते हुए मुख्यालय को सूचना नहीं दी गयी है तथा परिवादी का आरोप वापस लेने संबंधी शपथ पत्र मो0 आलम द्वारा संलग्न किया गया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप तदनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यहीन है क्योंकि आरोपित विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त है, अगर इन्हें किसी स्त्रोत से भ्रष्टाचार जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस तथ्य से अविलंब यथोचित कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा यह तर्क दिया जाना कि Unknown Number से विडियो प्राप्त होने के बाद ध्यान नहीं दिया गया जो कि बिल्कुल अतार्किक (illogical) है क्योंकि Unknown Number से ही भ्रष्टाचार जैसे मामलें पदाधिकारी/कर्मी को दिया जाता है ताकि तत्क्षण कार्रवाई हो सके। परिवादी के शपथ पत्र के संबंध में उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा संचिका में मंतव्य गठित किया गया है कि परिवादी से दूरभाष पर संपर्क किया गया है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि परिवादी द्वारा कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी मंतव्य अंकित है कि यह शपथ पत्र फर्जी प्रतीत होता है। इनके इस प्रकार के कृत्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसे मामले में अपने अधीनस्थ विशेष सर्वेक्षण अमीन को सहयोग दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपित पर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा जो आरोप लगाए गए है, वह प्रमाणित होता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आम जनता के बीच सहयोग से साथ किये जाने वाला कार्य है, जिसमें इनके द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मी को सहयोग देने के साथ–साथ भ्रष्टाचार जैसे वायरल विडियों को भी छुपाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार का कृत्य अन्य कर्मियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं है। अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)''** के आलोक में मो0 इरशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00773) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

27/5/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(खगड़िया)संविदा–36/2022 4451 **पटना, दिनांक** :–29/05/2023

प्रतिलिपिः– मो0 इरशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00773) बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(खगड़िया)संविदा–36/2022 4451 **पटना, दिनांक** :–29/05/2023

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(खगड़िया)संविदा–36/2022 4451 **पटना, दिनांक** :–29/05/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप